सत्र 2026-27 में कक्षा 11 हेतु चतुर्थ वैकल्पिक विषय के चयन हेतु दिशा निर्देश

प्रपत्र 7 में कक्षा 11 हेतु विषय मैपिंग हेतु दो विकल्प दिया जा सकते है

1. पूर्व संचालित में संचालित प्रारूप के अनुसार (दो अनिवार्य व तीन वैकल्पिक विषय) – विषय मैपिंग पूर्व अनुसार ही रखी जानी है
2. नवीन प्रारूप के अनुसार (एक अनिवार्य व चार वैकल्पिक विषय) – अंग्रेजी को अनिवार्य तथा Opt.-1, Opt.-2 Opt.-3 को पूर्व की भांति रखते हुए, हिंदी अनिवार्य के स्थान पर Opt. 4 के लिए संकाय अनुसार 2 (विज्ञान) अथवा 1(कला और वाणिज्य) विषय के चयन का विकल्प संस्था प्रधान की सहमति से दिया जा सकता है | पूर्व के Opt. 4 को Opt. 5 करते हुए व्यावसायिक शिक्षा तथा अतिरिक्त विषय (Additional) को लिए जाने का विकल्प दिया जाना है

नवीन प्रारूप में संकाय अनुसार चर्तुथ वैकल्पिक विषय का चयन संस्था प्रधान की सहमति पर निर्भर रहेगा अत: संस्था प्रधान कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिकतम विषय चयन के अनुसार ही अपनी सहमति देवें |

वास्तविक रूप से विद्यालय स्तर पर संकाय के अनुसार विषय मैपिंग की 7A में की जानी है

प्रथम चरण में संस्था प्रधान की अनुशंषा के अनुरूप विज्ञान संकाय में अधिकतम 2 विषयों तथा कला व वाणिज्य संकाय में 1 विषय पर विकल्प के रूप में सहमति हेतु विकल्प दिया जाना है

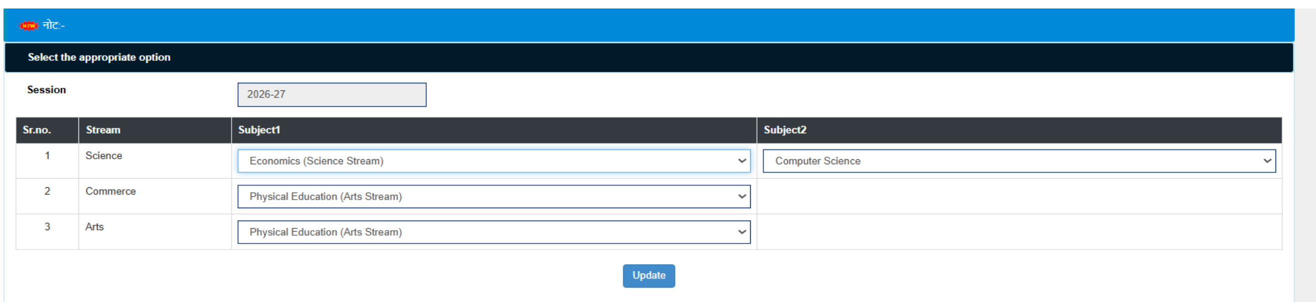

Sr.no.	Stream	Subject1	Subject2
1	Science	Economics (Science Stream)	Computer Science
2	Commerce	Physical Education (Arts Stream)	
3	Arts	Physical Education (Arts Stream)	

उक्तानुसार प्रथमतया संकायवार, विद्यार्थीवार चतुर्थ विषय का चयन किया जाना है

द्वितीय चरण में "Action" बटन पर क्लिक करें तथा संकायवार "OLD और NEW" प्रतिमान के अनुरूप चयन करें | यदि OLD का विकल्प लिया जाता है पूर्व के अनुसार 2 अनिवार्य विषय तथा 3 वैकल्पिक विषयों के साथ चौथा व्यवसायिक अथवा अतिरिक्त विषय चयन किये जाने का प्रावधान है|

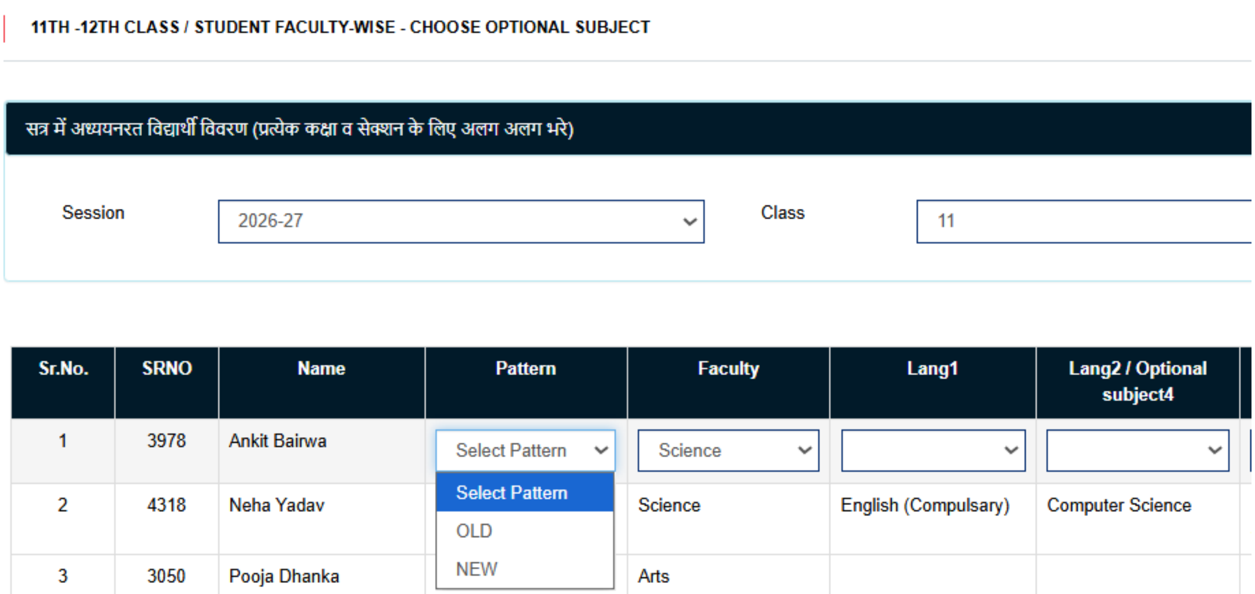

Sr.No.	SRNO	Name	Pattern	Faculty	Lang1	Lang2 / Optional subject4
1	3978	Ankit Bairwa	Select Pattern	Science		
2	4318	Neha Yadav		Science	English (Compulsary)	Computer Science
3	3050	Pooja Dhanka		Arts		

कक्षा वर्ग (Section) के अनुसार संकाय का चयन करें तत्पश्चात "NEW" या "OLD" प्रतिमान का चयन करें | यदि प्रथम चरण में संकाय के अनुसार आप द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये चतुर्थ विषय के रूप में कर लिया गया है तो अन्य 3 वैकल्पिक विषयों का चयन किया जाना है |

HOME | डेशबोर्ड | विद्यालय | CAREER MELA | कार्मिक | विद्यार्थी | योजनायें | रिपोर्ट्स | SHIKSHAK APP | डाउनलोड | परिणाम | हेल्प डेस्क | SHALASAMBLAN APP | D.El.Ed Exam | विविध

विद्यार्थी

- एमजीजीएस के लिए छात्र के प्रवेश की रिपोर्टिंग 2026-27
- प्रधानाचार्य द्वारा छात्र विवरण सत्यापन
- Update Student Permanent Education Number
- SCHOOL OPTIONAL SUBJECT MAPPING
- व्यावसायिक शिक्षा पूर्व-विद्यार्थी पहचान
- तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्ठी- प्रपत्र 7ए
- रोल न. आवंटन
- विद्यार्थी का लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक करें
- विद्यार्थी अध्ययन प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी खोजें
- विद्यार्थी जनआधार ऑथेंटिकेशन मोनिटरिंग रिपोर्ट
- एमजीजीएस -2026-27 के लिए आवेदन करने वाले छात्र का विवरण
- विद्यार्थी चरित्र प्रमाण पत्र
- Poshan Tracker Data (Child of Age Group 5 To 6)
- आधार से वंचित विद्यार्थियों की सूचि
- नई प्रवेश प्रविष्टि
- नाम पृथक विदयार्थी का पुनः प्रवेश
- विद्यार्थी विवरण प्रविष्ठी - प्रपत्र 9
- विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्ठी
- PTM Attendance
- Generate TC For Merged School
- लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना
- एमजीजीएस स्कूल लॉटरी विवरण कक्षावार - प्रिंट
- विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति (All School)
- BOARD RESULT (2025-26)
- विद्यार्थी विवरण संसोधन - प्रपत्र 5
- संकाय एवं ऐच्छिक विषय प्रविष्ठी - प्रपत्र 7
- Student Section Entry
- टी.सी. जारी करें
- रिजल्ट और प्रमोशन
- विद्यार्थी जनाधार उपलब्धता एवम प्रमाणीकरण स्थिति अपडेट करें
- आंगनवाड़ी विद्यार्थियों की प्रोविशनल सूची

										subject	
1	3978	Ankit Bairwa	NEW	Science	English (Compulsary)	Computer Science	Physics (Science Stream)	Chemistry (Science Stream)	Biology (Science Stream)	Mathematics (Science Stream)	
2	4318	Neha Yadav	NEW	Science	English (Compulsary)	Computer Science	Physics (Science Stream)	Chemistry (Science Stream)	Biology (Science Stream)	Banking - Financial Services & Insurance	

नोट : - विज्ञान व कृषि संकाय हेतु समान विषय मैपिंग का प्रावधान रहेगा |

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र अनुसार राजकीय विद्यालयों में इस वर्ष सत्र 2026-27 में कक्षा 11 में चतुर्थ वैकल्पिक विषय का चयन निम्नानुसार किया जाना है , अत: शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी टैब के प्रपत्र 7 में विकल्प उपलब्ध करवा दिया गया है | यदि मैपिंग में किसी प्रकार का संशय अथवा जिज्ञासा हो तो मोबाइल न. - 9351677462 (राजेश बैरवा, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर) से संपर्क किया जा सकता है |

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग

क्रमांकः 4(4) EDU-1/ Compulsory and Optional Sub. System/ 2026-39652 जयपुर, दिनांक :

—: परिपत्र :—

वर्तमान परिस्थितियों एवं शिक्षा विभाग में किये जा रहे गुणात्मक सुधारों के आलोक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विधार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य में रूचिकर विषय पढने के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विधार्थी के कक्षा—11 में प्रवेश लेने पर विद्यालय में स्वीकृत संकाय/संकायों में संचालित विषयों में से 04 ऐच्छिक विषय एवं 01 अनिवार्य विषय अंग्रेजी लिये जाने हेतु निम्न प्रकार से मानदण्ड एतद्द्वारा निर्धारित किये जाते है:—

1. यदि किसी विद्यालय में 01 अथवा 01 से अधिक संकाय संचालित है तथा संचालित संकाय/संकायों में संबंधित संकाय के विषयों के अतिरिक्त अन्य ऐच्छिक विषय अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, हिन्दी उपलब्ध होने एवं विद्यालय में प्राध्यापक का पद स्वीकृत होने पर चतुर्थ ऐच्छिक विषय उक्तानुसार लिया जा सकेगा।
2. विज्ञान संकाय स्वीकृत विद्यालय में यदि कम्प्यूटर विज्ञान विषय स्वीकृत नहीं है तो भी विधार्थी द्वारा चतुर्थ ऐच्छिक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान का चयन किया जा सकता है। किन्तु उस विद्यालय में कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होना अनिवार्य है।
3. एकल संकाय विद्यालय में यदि शारीरिक शिक्षा विषय स्वीकृत नहीं है तो भी विधार्थी द्वारा चतुर्थ ऐच्छिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा (Physical Education) का चयन किया जा सकता है। किन्तु उस विद्यालय में शारीरिक शिक्षक (ग्रेड—2/ग्रेड—1) का पद स्वीकृत होना अनिवार्य है।
4. विज्ञान संकाय स्वीकृत विद्यालय के विधार्थियों द्वारा चतुर्थ विषय के रूप में अधिकतम 02 विषयों का ही चयन किया जा सकेगा अर्थात चतुर्थ विषय 01 विद्यालय में अधिकतम 02 ही रहेंगे। विद्यालय में चतुर्थ विषय उपरोक्त में से कौनसे दो रहेंगे, यह निर्णय संस्था प्रधान का रहेगा।
5. कला/वाणिज्य संकाय स्वीकृत विद्यालय के विधार्थियों द्वारा चतुर्थ ऐच्छिक विषय के रूप में अधिकतम 01 विषय का ही चयन किया जा सकेगा। विद्यालय में चतुर्थ विषय उपरोक्त में से कौनसा एक रहेगा, यह निर्णय संस्था प्रधान का रहेगा।
6. जो विद्यार्थी पूर्व की भांति 03 ऐच्छिक विषय एवं 02 अनिवार्य विषय लेना चाहते है, उनके लिए व्यवस्था पूर्वानुसार यथावत रहेगी।
7. संस्था प्रधान कक्षा—10 के परीक्षा परिणाम से पूर्व कक्षा—11 में प्रवेश लेने वाले संभावित विधार्थियों से विकल्प प्राप्त कर उनकी रूचि के अनुसार चतुर्थ विषय उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 21569776
eSign DSC